

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैंक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 4678 / ४४४

दिनांक :- 10-1-17

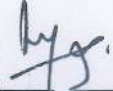
कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री ओमप्रकाश [लिंक न. 4678] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, विधि विभाग, मेड़ता, नागौर - [32325] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 01/09/2015 से 12/05/2016 तक * दिवस

कुल 255 दिवस

उक्त कुल 255 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री ओमप्रकाश की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।

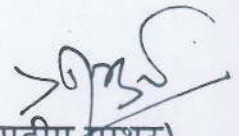

(पंकज पाटनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 4678 / ४४४

दिनांक :- 10-1-17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, विधि विभाग, मेड़ता, नागौर
2. कोषाधिकारी नागौर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री ओमप्रकाश [4678] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, विधि विभाग, मेड़ता, नागौर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(प्रदीप माथुर)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक III)